L. A. BILL No. LXXXIX OF 2025.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA SHOPS AND ESTABLISHMENTS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 2017.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ८९ सन् २०२५।

महाराष्ट्र दुकान और आस्थापना (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, २०१७ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र दुकान और आस्थापना (रोज़गार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, २०१७ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था; और, इसलिए, महाराष्ट्र दुकान और आस्थापना (रोज़गार और सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०२५, १ अक्तूबर २०२५ को प्रख्यापित किया गया था ; सन् २०१७ का महा. ६१। सन् २०२५ का महा. अध्या. क्र. ८।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधान मंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है; अतः भारत गणराज्य के छिहत्तरवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र दुकान और आस्थापना (रोज़गार और सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, २०२५ कहलाए।

(२) यह १ अक्तूबर २०२५ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् २०१७ का महा. ६१ की धारा १ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र दुकान और आस्थापना (रोज़गार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, २०१७ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा १ की, उप-धारा (३) के,— सन् २०१७ का महा. ६१।

(१) खण्ड (क) में, "दस" शब्द के स्थान में, "बीस" शब्द रखा जायेगा;

(२) खण्ड (ख) में, "दस" शब्द के स्थान में, "बीस" शब्द रखा जायेगा।

सन् २०१७ का महा. ६१ की धारा ६ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ६ की उप-धारा (१) में, "दस" शब्द के स्थान में "बीस" शब्द रखा जायेगा ।

सन् २०१७ का महा. ६१ की धारा ७ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ७ की,—

(१) उप-धारा (१) में,—

(क) "दस" शब्द के स्थान में, "बीस" शब्द रखा जायेगा;

(ख) प्रथम परंतुक में, "दस" शब्द के स्थान में, "बीस" शब्द रखा जायेगा;

(२) उप-धारा (२) में, "दस" शब्द के स्थान में, "बीस" शब्द रखा जायेगा;

(३) पार्श्व टिप्पणी में, "दस" शब्द के स्थान में, "बीस" शब्द रखा जायेगा।

सन् २०१७ का महा. ६१ की धारा १२ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा १२ में,—

(१) "नौ" शब्द के स्थान में, "दस" शब्द रखा जायेगा;

(२) "पाँच" शब्द के स्थान में, "छह" शब्द रखा जायेगा ;

(३) विद्यमान परंतुक अपमार्जित किया जायेगा।

सन् २०१७ का महा. ६१ की धारा १४ की प्रतिस्थापना।

६. मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान में, निम्न धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

आस्थापना में कार्य-विस्तार ।

"**१४.** आस्थापना में एक श्रमिक का कार्य-विस्तार किसी दिन में बारह घंटे से अधिक नहीं होगा।"।

सन् २०१७ का महा. ६१ की धारा १५ में संशोधन।

७. मूल अधिनियम की धारा १५ में, "एक सौ पच्चीस घंटे" शब्दों के स्थान में, "एक सौ चौवालीस घंटे" शब्द रखे जायेंगे ।

सन् २०२५ का महा. अध्या. क्र. ८।

८. (१) महाराष्ट्र दुकान और आस्थापना (रोजगार और सेवा की की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०२५ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।

सन् २०२५ का अध्यादेश क्रमांक ८ का निरसन और व्यावृत्ति।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, कोई बात या की गयी कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र राज्य यह, भारत का सबसे अधिक आर्थिक रूप से गतिशील राज्य है, जिसमें बडी संख्या में श्रमिक कार्यरत है, ऐसे बड़े पैमाने पर औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों को समायोजित किया गया है। विभिन्न श्रमिक विधियों के अधीन श्रमिकों के लिए निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित करते समय, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए छोटे कारोबारियों का अनुपालन बोझ कम करने के लिए राज्य प्रयासरत है। कार्यान्वयन, लचिलापन और अनुपालन बोझ कम करने संबंधि विनियामक सुधार करने से राज्य की आर्थिक वृद्धि होगी।

२. कारोबार करने और आजीविका में सुकरता लाने से संबंधित विनियमों और प्रक्रियाओं में सुधार के साथ तालमेल बिठाने के लिए छोटी आस्थापनाओं पर अनुपालन का बोझ को कम करना आवश्यक समझा गया है। साप्ताहिक अड़तालिस घंटो के कार्य की नियत सीमा में बदलाव किए बिना कार्य घंटो में परिचालन लचिलेपन का उपबंध करना भी आवश्यक समझा गया है। उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए सरकार, महाराष्ट्र दुकान और आस्थापना (रोज़गार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, २०१७ (सन् २०१७ का महा. ६१) में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझती है।

३. प्रस्तावित संशोधनों की प्रमुख विशेषताएँ यथा निम्न है, अर्थात् :—

(क) छोटे उद्योगों के लिए अनुपालन बोझ कम करने, रोजगार निर्मिती को प्रोत्साहित करने और अनुपालन का भय दूर करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रीकरण करने और उक्त अधिनियम के अन्य विनियामक उपबंधों के लिए किसी आस्थापना में १० या अधिक कर्मचारियों की अवसीमा २० या उससे अधिक बढ़ाना । २० से कम श्रमिकों की आस्थापनाओं ने, सुविधाकर्ता से रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दिर्घकाल तक जरूरत नहीं रहेगी, परंतु उनको केवल उनके कारोबार की सूचना देने की आवश्यकता है। तथापि, उनके श्रमिकों की अन्य सांविधिक सुरक्षा शेष वही रहेगी ;

(ख) दैनिक कार्य घंटो में, किसी सप्ताह में अधिकतम अड़तालीस घंटो के अध्यधीन विश्राम अंतराल समेत विद्यमान नौ घंटो से दस घंटो तक बढ़ाना है। बडे पैमाने पर आर्थिक क्रियाकलाप निर्माण करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा किसी व्यवधान के बिना आपात परिस्थिति, अधिकतम माँग या कर्मचारीवृन्द की कमी से निपटाने का लचिलेपन आस्थापनाओं को देना;

(ग) आस्थापनाओं में, दैनिक कार्य घंटों को बढ़ाने से और बेहतर समयसारणी के उपबंध समायोजित करने के लिए विद्यमान साढ़े दस कार्य घंटों का कार्य-विस्तार बारह घंटों तक विस्तारित करना ;

(घ) दैनिक अधिकतम कार्य घंटो में लचिलेपन लाने और सुचारू समायोजन का प्रावधान करने के लिए बिना विश्राम अंतराल के अधिकतम निरंतर कार्य घंटों के पाँच घंटो से छह घंटो तक बढ़ाना;

(ङ) एक तिमाही के भीतर अतिकालिक अवधि १२५ घंटों से १४४ घंटों तक बढ़ाना, ताकि असाधारण कार्य बोझ को कम करने के लिए आस्थापनाओं को प्रतितिमाही बढ़ाई गयी अवधि के लिए श्रमिकों को अतिकालिक कार्य के लिए अनुमति दे सकेगी। इस बदलाव से श्रमिकों की कमाने की क्षमता बढ़ेगी और अतिकालिक प्रथाओं को औपचारिक बनाया जायेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि, सभी अतिरिक्त घंटो को उचित रीत्या दर्ज किया गया है और मुआवजा दिया जा रहा है, जिससे श्रमिकों के शोषण को रोकने में मद्द होगी। तथापि, श्रमिकों को अतिकालिक कार्य करना अनिवार्य नहीं होगा।

४. चूँकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र दुकान और आस्थापना (रोज़गार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, २०१७ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र दुकान और आस्थापना (रोज़गार और सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०२५, (सन् २०२५ का महा. अध्यादेश क्र.८), १ अक्तूबर २०२५ को प्रख्यापित हुआ था।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित ४ नवंबर, २०२५।

आकाश फुंडकर,
श्रम मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),
श्री. अरूण कमळाबाई वाळू गिते,
प्रभारी भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
नागपुर,
दिनांकित २७ नवंबर, २०२५।

जितेंद्र भोळे,
सचिव-१,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मुद्रणालय, नागपूर.